


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम
 उपा नं 2/16 तारीख 23.3.16

उजवान . भरतलाल बनाम चनसी मीना सांकरवाडा
 दावा बाबत घोषणा खोतदारी एवं स्थायी निवेद्याडा
 वादी की ओर से एडवोकेट हंसराज गुरजर ने दावा बाबत
 घोषणा खोतदारी एवं स्थायी निवेद्याडा पेश किया। शपथ
 पत्र व अन्य दस्तावेजात का अपलोकन किया गया। दावा
 दर्ज रजिस्ट्रार की तवादी को जरिये सुमन से तलब कर
 दिनांक 20.4.16 को पेश हो।

794-95
 2.3.16


 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करीली)

20.4.16
 वादी वकील उपन। अर्थात् नं. 1 की ओर से श्री सुरेश
 चंद शर्मा ADV. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी
 नं. 2 सबजूद सूचना उपन नहीं है। P.O. को करौली
 पधारें हैं। आर्डर दिनांक 12.4.16 को पेश हो।

2.4.16
 चक्रपाप उप.। जबाब हेतु सागप-वाहा। डिमा जमा। दिनांक
 11.5.16 को पेश हो।


8.16 जनरल चेम्पे से पेश हुई वकलाय उपन। गतनुसार
 वास्ते जबाब दिनांक 19.9.16 को पेश हो।

जगदीश आर्य
 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोंडाभीम

फर्द अहकाम

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|--------|---|
| | <p>विवादित आराजीमत अथवा एक डीएम मुकदमा इतना यन्ही १५ भरतलाल सख्तमे चला रहा है इस लिए प्रकरण में तारी बापग होने की आवश्यकता नहीं है सुनकर उनवानी मुकदमा यन्ही १५ भरतलाल इस मुकदमे में हाफिता होने के आदेश दिए जाते हैं</p> |


 उप जिला कलेक्टर
 टोंडाभीम (करौली)

11119 यह पत्रावली उन्वानी पत्रावली यन्ही कास भरतलाल
 से प्रेषक होकर प्रस्तुत हुई। इस प्रकरण में श्री बहाल
 इसी पत्रावली के साथ ही सुनी गई थी। वादी का यह
 दावा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रेषक से
 लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली के क्रम
 नुसार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दर्ज़र
 हो।


 उप जिला कलेक्टर
 टोंडाभीम (करौली)

